

[नियम 26]

ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

बनाम

नं०

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

30/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप०
वकील वादी को शीतवादी सं० 1, 2, की
रीजस्टर्ड तलबी हेतु तलबना पेश करने
का अप्रोपिये में अन्तिम अवसर दिया जाता
है। पत्रावली दि०-04/08/2025 को पेश हो

उपसंग्रह अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

04/08/25
पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप०
बार का कार्य स्थगन है। पीठसीन
अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त
है। दिनांक 15/09/25 तक हो।

पेठ

15/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को
आवाजे खिलाई गई। किन्तु वकील वादी शौजर
नहीं आये। वादी स्वयं भी शौजर नहीं हैं।
अतः वकील वादी की अनु० में वाद अदम-
हाजरी अदम पेश्वी में रवायेज किया जाता है।
पत्रावली फेराल होकर नम्बर से कम हो।
वाद शीत जमाने का नकार हो।

उपसंग्रह अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०